

बिहार सरकार
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग
अधिसूचना

जी०एस०आर०-प्र०७ विविध-१४/२०१३-१६१४ खाद्य, पटना/दिनांक-२५-०७-१७

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, २०१३ की धारा-२९ एवं लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) अधिश, २०१५ की कंडिका-७(४) तथा बिहार लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) अधिश, २०१६ के आलोक में लक्षित जन वितरण प्रणाली की पारदर्शिता और उचित कार्यकरण को तथा ऐसी प्रणाली में, कृत्यकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए राज्य स्तरीय, जिला स्तरीय, प्रखंड स्तरीय शहरी निकाय क्षेत्रों के वार्ड स्तरीय एवं पंचायत स्तरीय सतर्कता समितियों के गठन के संबंध में प्रदत्त शोधतयों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल एतद्द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम, १९५५ (समय-समय पर यथासंशोधित) के अधीन निम्नलिखित सतर्कता समितियों (Vigilance Committees) को गठन स्थायी रूप से तुरंत के प्रभाव से ऐसे व्यक्तियों से मिलाकर करते हैं जो स्थानीय प्राधिकारियों, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, महिलाओं और निराश्रित व्यक्तियों या निःशक्त व्यक्तियों का सम्यक प्रतिनिधित्व देते हुए राज्य सरकार द्वारा विहित किये जायेंगे। राज्य स्तरीय सतर्कता समिति, जिला स्तरीय सतर्कता समिति, प्रखंड स्तरीय सतर्कता समिति, शहरी निकाय क्षेत्रों के वार्ड स्तरीय सतर्कता समिति एवं पंचायत स्तरीय सतर्कता समितियों में मनोनित सदस्यों के मनोनयन नहीं होने की स्थिति में उपरोक्त समितियाँ कार्यरत रहेगी एवं यथाप्रावधानित कर्तव्यों एवं दायित्वों का निर्वहन करेंगे। समितियों में किसी प्रकार की मनोनीत सदस्यों की रिक्ति या पदेन सदस्यों के अनुपस्थिति में समितियों के कार्यरत रहने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। राज्य स्तरीय समिति, जिला स्तरीय समिति, प्रखंड स्तरीय सतर्कता समिति के मनोनित सदस्य राज्य सरकार को संवीधित स्वालिखित पत्र प्रेषित कर अपने पद से त्यागपत्र दे सकेंगे। तदनुसार पूर्व से अनुमंडल स्तर पर गठित अनुश्रवण समिति को छोड़कर शेष सभी निगरानी/अनुश्रवण समिति को निरसित किया गया। नवगठित समितियाँ निम्न प्रकार होंगी :-

२. क. राज्य स्तरीय सतर्कता समिति

- | | |
|--|---------|
| (i) मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग | अध्यक्ष |
| (ii) राज्य स्तरीय कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति के उपाध्यक्ष तथा सभी सदस्य | सदस्य |
| (iii) मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग | सदस्य |
| (iv) मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग | सदस्य |
| (v) मंत्री, पंचायती राज विभाग | सदस्य |
| (vi) मंत्री, महकमरता विभाग | सदस्य |
| (vii) मंत्री, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग | सदस्य |

(viii) मंत्री, पिछड़ा वर्ग एवं अतिपिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग	सदस्य
(ix) मंत्री, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	सदस्य
(x) मंत्री, समाज कल्याण विभाग	सदस्य
(xi) सांसदगण - 05 (पाँच) (राज्य सरकार द्वारा मनोनीत)	सदस्य
(xii) विधायक/विधान प्रार्थद- 10 (दस) (राज्य सरकार द्वारा मनोनीत)	सदस्य
(xiii) प्रधान सचिव/सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग	सदस्य सचिव
(xiv) प्रधान सचिव/सचिव, ग्रामीण विकास विभाग	सदस्य
(xv) प्रधान सचिव/सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग	सदस्य
(xvi) प्रधान सचिव/सचिव, पंचायती राज विभाग	सदस्य
(xvii) प्रधान सचिव/सचिव, सहकारिता विभाग	सदस्य
(xviii) प्रधान सचिव/सचिव अनुसूचित जाति/जन जाति कल्याण विभाग	सदस्य
(xix) प्रधान सचिव/सचिव पिछड़ा वर्ग एवं अतिपिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग	सदस्य
(xx) राज्य सरकार द्वारा मनोनीत- 10 (दस प्रतिनिधि) जिसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला, निःशक्त, अल्पसंख्यक एवं अतिपिछड़ा वर्ग का एक-एक सदस्य अवश्य हों।	सदस्य
(xxi) जन वितरण प्रणाली विक्रेता संगठन के- 02 (दो) प्रतिनिधि	सदस्य
ख. जिला स्तरीय स्तुर्कता समिति	
(i) जिला के प्रभारी मंत्री	अध्यक्ष
(ii) जिला कार्यक्रम द्वितीयान्वयन समिति के उपाध्यक्ष एवं सभी सदस्य	सदस्य
(iii) जिला परिषद् के अध्यक्ष	सदस्य
(iv) जिला पदाधिकारी	सदस्य सचिव
(v) पुलिस अधीक्षक	सदस्य
(vi) जिला आपूर्ति पदाधिकारी	सदस्य

(vii) जिला के सभी अनुमण्डल पदाधिकारी	सदस्य
(viii) जिला पार्षद के उपाध्यक्ष एवं सभी सदस्य	सदस्य
(ix) जिला अन्तर्गत सभी नगर निकाय के अध्यक्ष ।	सदस्य
(x) जिला के सभी क्षेत्रीय विधायक, विधान पार्षद तथा सांसद अथवा उनके द्वारा मनोनीत एक-एक प्रतिनिधि ।	सदस्य
(xi) तेल कम्पनियों के प्रतिनिधि	सदस्य
(xii) सिटी/म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के अध्यक्ष एवं सभी सदस्य पंचायत समिति के अध्यक्ष एवं सभी सदस्य	सदस्य
(xiii) जन वितरण प्रणाली विक्रेता संगठन के 02 (दो) प्रतिनिधि ।	सदस्य
ग. <u>प्रखंड स्तरीय सतर्कता समिति</u>	अध्यक्ष
(i) प्रखंड कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति के अध्यक्ष	सदस्य
(ii) प्रखंड कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति के उपाध्यक्ष एवं सभी सदस्य	सदस्य सचिव
(iii) प्रखंड विकास पदाधिकारी	सदस्य
(iv) प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी	सदस्य
(v) नगर परिषद/नगर पंचायत के अध्यक्ष	सदस्य
(vi) प्रखंड के प्रमुख एवं उप प्रमुख तथा सभी पंचायत समिति के सदस्य	सदस्य
(vii) क्षेत्रीय विधायक एवं सांसद अथवा उनके द्वारा मनोनीत एक-एक प्रतिनिधि	सदस्य
(viii) सिटी/म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के अध्यक्ष एवं सभी सदस्य पंचायत समिति के अध्यक्ष एवं सभी सदस्य	सदस्य
(ix) जन वितरण प्रणाली विक्रेता संगठन के 02 (दो) प्रतिनिधि ।	सदस्य
घ. <u>शहरी निकाय क्षेत्रों के वार्ड स्तरीय (जन वितरण प्रणाली विक्रेता) सतर्कता समिति</u>	संयोजक
(i) नगर निगम/नगर परिषद/नगर पंचायत के वार्ड पार्षद	सदस्य
(ii) वार्ड के निकटतम वोटों से पराजित वार्ड पार्षद का उम्मीदवार	सदस्य
(iii) जिला पदाधिकारी द्वारा मनोनीत स्थानीय निवासियों (एक) प्रतिनिधि निःशक्ता व्यक्ति	सदस्य

ड. पंचायत स्तरीय (जन वितरण प्रणाली विक्रेता) सतर्कता समिति

- | | |
|---|--------|
| (i) पंचायत के मुखिया | संयोजक |
| (ii) पंचायत के सरपंच | सदस्य |
| (iii) पंचायत के निकटतम वोटों से पराजित मुखिया के उम्मीदवार | सदस्य |
| (iv) पंचायत के निकटतम वोटों से पराजित सरपंच के उम्मीदवार | सदस्य |
| (v) सभी वार्ड सदस्य | सदस्य |
| (vi) सभी पंच | सदस्य |
| (vii) जिला पंचायत के अध्यक्ष के द्वारा निर्धारित स्थानीय स्तरीय सतर्कता समिति के सदस्य | |
| (viii) मुखिया की अनुपस्थिति में, पंचायत के उप मुखिया संयोजक के रूप में कार्य करेंगे। | सदस्य |

3. (क) राज्य स्तरीय सतर्कता समिति के कार्य एवं दायित्व

- (i) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अधीन सभी योजनाओं के कार्यान्वयन का नियमित रूप से पर्यवेक्षण करना,
- (ii) इस अधिनियम के किसी उपबंध के उल्लंघन के संबंध में जिला शिकायत निवारण अधिकारी को लिखित में सूचित करना,
- (iii) किसी अनाचार या निधियों के दुर्विनियोग के संबंध में, जिला शिकायत निवारण अधिकारी को लिखित में सूचित करना,
- (iv) लक्षित जन वितरण प्रणाली अन्तर्गत कार्यान्वित योजनाओं के सम्पूर्ण क्रियाकलापों एवं इसकी सुलभ क्रियाशीलता में आने वाले समस्याओं/बाधाओं की त्रैमासिक समीक्षा करना,
- (v) समिति/इसके सदस्य, जन वितरण प्रणाली दुकान एवं विभाग के नियंत्रणाधीन कार्यालयों का दौरा कर सकती है एवं योजना के लाभार्थी से सम्पर्क कर सकती है। इस पर्यवेक्षण में समिति लक्षित जन वितरण प्रणाली योजना के सफल कार्यान्वयन में आने वाली समस्याओं और उसके निदान हेतु राज्य सरकार को अनुशंसा करेगी।
- (vi) यदि किसी मुद्दे पर केन्द्र सरकार के क्षेत्राधिकार में निर्णय अपेक्षित है तो राज्य स्तरीय सतर्कता समिति सुधारात्मक कार्रवाई के लिए केन्द्र सरकार को अनुशंसा कर सकती है।

(vii) समिति की बैठक आयोजित करने का दायित्व समिति के अध्यक्ष (मंत्र खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग) का होगा।

(ख) जिला स्तरीय सतर्कता समिति के कार्य एवं दायित्व

- (i) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2015 के अधीन सभी योजनाओं के कार्यान्वयन का नियमित रूप से पर्यवेक्षण करना,
- (ii) अधिनियम के किसी उपबंध के उल्लंघन के संबंध में जिला शिकायत निवारण अधिकारी को लिखित रूप में सूचित करना,

- (iii) किसी अनाचार या निधियों के दुर्विनियोग के संबंध में, जिला शिकायत निवारण अधिकारी को लिखित में सूचित करना,
 - (iv) जन वितरण प्रणाली अन्तर्गत वितरित होने वाली विभिन्न योजनाओं के खाद्यान्न एवं किरासन तेल के ससम्बन्ध उठाव एवं वितरण की समीक्षा करना,
 - (v) राज्य खाद्य निगम द्वारा खाद्यान्नों के उठाव एवं जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं के माध्यम से लाभुकों के बीच इसके वितरण की समीक्षा करना तथा इसमें उत्पन्न कठिनाइयों की समीक्षा कर सरकार द्वारा निर्धारित नीति के तहत उस पर निर्णय लेना,
 - (vi) समिति की बैठक आयोजित करने का दायित्व समिति के अध्यक्ष का होगा।
- (ग) प्रखंड स्तरीय सतर्कता समिति के कार्य एवं दायित्व
- (i) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2015 के अधीन सभी योजनाओं के कार्यान्वयन का नियमित रूप से पर्यवेक्षण करना,
 - (ii) अधिनियम के किसी उपबंध के उल्लंघन के संबंध में जिला शिकायत निवारण अधिकारी को लिखित में सूचित करना,
 - (iii) किसी अनाचार या निधियों के दुर्विनियोग के संबंध में, जिला शिकायत निवारण अधिकारी को लिखित रूप में सूचित करना,
 - (iv) प्रखंड स्थित जन वितरण प्रणाली की दुकानों द्वारा उपभोक्ताओं के बीच वितरित किये जाने वाले खाद्यान्न एवं किरासन तेल के उठाव एवं वितरण पर निगरानी रखना, खाद्यान्न एवं किरासन तेल सभी उपभोक्ताओं को निर्धारित मात्रा एवं दर पर उपलब्ध कराना,
 - (v) समिति की बैठक आयोजित करने का दायित्व समिति के अध्यक्ष का होगा।
 - (vi) उपर्युक्त व्यवस्था से संबंधित भविष्य में किसी प्रकार के मार्ग-निर्देश उपलब्ध कराने का दायित्व सरकार के खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग का होगा।

(घ) शहरी निकाय क्षेत्रों के वार्ड स्तरीय एवं पंचायत स्तरीय सतर्कता समिति के कार्य एवं दायित्व

- (i) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2015 के अधीन सभी योजनाओं के कार्यान्वयन का नियमित रूप से पर्यवेक्षण करना,
- (ii) अधिनियम के किसी उपबंध के उल्लंघन के संबंध में जिला शिकायत निवारण अधिकारी को लिखित रूप में सूचित करना,
- (iii) किसी अनाचार या निधियों के दुर्विनियोग के संबंध में, जिला शिकायत निवारण अधिकारी को लिखित में सूचित करना,
- (iv) वार्ड/पंचायत में स्थित जन वितरण प्रणाली की दुकानों द्वारा उपभोक्ताओं के बीच वितरित किये जाने वाले खाद्यान्न एवं किरासन तेल का उठाव एवं वितरण पर निगरानी रखना;

- (v) जन वितरण प्रणाली के माध्यम से वितरण होने वाले खाद्यान्न एवं किरासन तेल सभी उपभोक्ताओं को निर्धारित मात्रा एवं दर पर उपलब्ध कराना,
- (vi) समिति की बैठक आयोजित करने का दायित्व समिति के अध्यक्ष का होगा।
- (vii) जन वितरण प्रणाली के दुकानदार द्वारा खाद्यान्न एवं किरासन तेल के उठाव एवं वितरण से संबंधित सूचना ससमय समिति के संयोजक को उपलब्ध कराना,
- (viii) उपर्युक्त व्यवस्था से संबंधित भविष्य में किसी प्रकार के मार्ग-निर्देश उपलब्ध कराने का दायित्व सरकार के खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग का होगा।

4. सतर्कता समिति के अध्यक्ष/संयोजक या ऐसे किसी सदस्य को पद से हटा सकेगी

:-

- (क) जो दिवालिया है या किसी समय दिवालिया अधिनिर्णीत किया गया है, या
- (ख) जो सदस्य के रूप में कार्य करने में शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से असमर्थ हो, या
- (ग) जिसे ऐसे किसी अपराध के लिए सिद्धोष ठहराया गया हो जो राज्य सरकार की राय में नैतिक अधमता अंतर्बलित है, या
- (घ) जिसने ऐसा वित्तीय या अन्य हित अर्जित कर लिया हो, जिससे सदस्य के रूप में उसके कृत्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, या
- (ङ.) जिसने अपने पद का इस प्रकार दुरुपयोग किया हो जिससे उसका पद पर बने रहना लोक हित में हानिकारक हो।

ऐसे किसी अध्यक्ष/संयोजक या सदस्य को उक्त कंडिका-07 (घ) या (ङ) के अधीन तब तक नहीं हटाया जाएगा, जबतक कि उसे सुने जाने का व्यक्तिगत अवसर न दे दिया गया हो।

5. राज्य स्तरीय सतर्कता समिति, जिला स्तरीय सतर्कता समिति, प्रखंड स्तरीय सतर्कता समिति, शहरी निकाय क्षेत्रों के वार्ड स्तरीय सतर्कता समिति एवं पंचायत स्तरीय सतर्कता समितियों में मनोनित सदस्यों के मनोनयन नही होने की स्थिति में उपरोक्त समितियाँ कार्यरत रहेगी एवं यथाप्रावधानित कर्तव्यों एवं दायित्वों का निर्वहन करेंगी। समितियों में किसी प्रकार की मनोनित सदस्यों की रिक्ति या पदेन सदस्यों के अगुपस्थिति में समितियों के कार्यरत रहने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। राज्य स्तरीय समिति, जिला स्तरीय समिति, प्रखंड स्तरीय सतर्कता समिति के मनोनित सदस्य राज्य सरकार को संबोधित स्वलिखित पत्र प्रेषित कर अपने पद से त्यागपत्र दे सकेंगे।

6. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 की धारा- 29 एवं लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2015 की कंडिका-7(4) तथा बिहार लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2016 के आलोक में लक्षित जन वितरण प्रणाली की पारदर्शिता और उचित कार्यकरण को तथा ऐसी प्रणाली में,

बिहार राज्यपाल के आदेश से

सरकार के सचिव ।

सरकार के सचिव ।

सरकार के सचिव ।

महर्षी जिला पदाधिकारी एवं सभी अनुमंडल पदाधिकारी से अनुरोध है कि अपने स्तर से जिला, प्रखंड, शहरी निकाय क्षेत्रों के वार्ड एवं पंचायत स्तर पर गठित सतर्कता समितियों के अध्यक्ष, संयोजक तथा सभी सदस्यों को अधिसूचना आदेश की प्रति उपलब्ध कराते हुए बैठक कराना सुनिश्चित करेंगे।

सरकार के सचिव ।

125

ज्ञापक- प्र07-विविध- 14/2013.36/4- खाद्य, पटना/दिनांक- 25-07-17
प्रतिलिपि- माननीय मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के आस
सचिव/प्रधान सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के प्रधान आस सचिव को
सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ज्ञापक- प्र07-विविध- 14/2013.36/4- खाद्य, पटना/दिनांक- 25-07-17
प्रतिलिपि- प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय, विभाग, पटना को
मंत्रिपरिषद की बैठक दिनांक- 25-07-17 के मद संख्या- 17 के रूप में प्राप्त स्वीकृत
के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित ।

ज्ञापक- प्र07-विविध- 14/2013.36/4- खाद्य, पटना/दिनांक- 25-07-17
प्रतिलिपि- आइ0टी0 मैनेजर, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, विहार,
पटना को विभागीय वेब-साइट पर अपलोड करने एवं संचालित कर दे मेल करने हेतु
प्रेषित ।

ज्ञापक- प्र07-विविध- 14/2013.36/4- खाद्य, पटना/दिनांक- 25-07-17
प्रतिलिपि- अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारवाग, पटना-7 को विहार
राजपत्र के आगामी असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ (दो हाई कोपी एवं एक सी0डी0
सहित) प्रेषित ।

अनुरोध है कि गजट नं० 200 (वि० सी०) प्रतियां इस विभाग को प्राप्त
उपलब्ध कराने की कृपा की जाय ।